सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 129/15 **निर्णय दिनांकः— 23.07.2018**

1. विभोर कुमार पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी 131, लाजपत नगर मुरादाबाद, उत्तरप्रदेश हाल बीकानेर जरिये मु.आम श्रीराम अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर।
2. श्रीराम अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. रतनदेवी पत्नि पन्नालाल जाति नागल निवासी बी—29 करणीनगर, लालगढ़, बीकानेर।
2. तरूणा सुथार पुत्री पन्नालाल जाति नागल निवासी बी—29, करणीनगर, लालगढ़, बीकानेर।
3. विनय कुमार पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी 131—लाजपत नगर, मुरादाबाद उत्तरप्रदेश।
4. अनुभव लोहिया पुत्र श्री विनय कुमार जाति गुप्ता निवासी 131—लाजपत नगर, मुरादाबाद उत्तरप्रदेश।
5. विनित कुमार पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी 131—लाजपत नगर, मुरादाबाद उत्तरप्रदेश।
6. नरेश अग्रवाल पुत्र बंशीधर जाति अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्याः 130/15

1. विभोर कुमार पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी 131, लाजपत नगर मुरादाबाद, उत्तरप्रदेश हाल बीकानेर जरिये मु.आम श्रीराम अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर।
2. श्रीराम अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर।

—बनाम—

1. सावित्री देवी पत्नी किशोर चन्द जाति जिंदल निवासी श्रीगंगानगर जरिये मु. आम राजेन्द्र कुमार पुत्र लिखमाराम जाति मेघवाल निवासी पाबूबारी, बीकानेर।
2. विनय कुमार पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी 131—लाजपत नगर, मुरादाबाद उत्तरप्रदेश।
3. अनुभव लोहिया पुत्र श्री विनय कुमार जाति गुप्ता निवासी 131—लाजपत नगर, मुरादाबाद उत्तरप्रदेश।
4. विनित कुमार पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी 131—लाजपत नगर, मुरादाबाद उत्तरप्रदेश।
5. नरेश अग्रवाल पुत्र बंशीधर जाति अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

3. <u>अपील संख्याः 131/15</u>

1. विभोर कुमार पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी 131, लाजपत नगर मुरादाबाद, उत्तरप्रदेश हाल बीकानेर जरिये मु.आम श्रीराम अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर।
2. श्रीराम अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर।

—बनाम—

1. नोजादेवी पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी लूणकरनसर जिला बीकानेर जरिये मु. आम अयुब अली पुत्र बाबू खॉ जाति मुसलमान निवासी धोबीतलाई, बीकानेर।
2. विनय कुमार पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी 131—लाजपत नगर, मुरादाबाद उत्तरप्रदेश।
3. अनुभव लोहिया पुत्र श्री विनय कुमार जाति गुप्ता निवासी 131—लाजपत नगर, मुरादाबाद उत्तरप्रदेश।
4. विनित कुमार पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी 131—लाजपत नगर, मुरादाबाद उत्तरप्रदेश।

5. नरेश अग्रवाल पुत्र बंशीधर जाति अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

अपीलें विरुद्व आदेश दिनांक 04—11—2015
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजकुमार छंगाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5
4. श्री सुरेन्द्र कुमार बड़गुजर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

—निर्णय—

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें सहायक कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 04—11—2015 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. तीनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन तीनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त तीनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि मौजारोही चकगर्बी के खेत खसरा नम्बर 15/2 में 100 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 मिन में तादादी 24 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 मिन में रकबा 56 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 मिन में रकबा 91 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 मिन में 92 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 में रकबा 98 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 में रकबा

85 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 में 76 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 मिन में 177 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 मिन में 134 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 87 मिन में 48 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 88 में 120 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 में 46 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 मिन में 1 बीघा कुल किता 14 तादादी 1153 बीघा 17 बिस्वा खाम(कच्चा) स्थित है।

उपरोक्त भूमि में से 548 बीघा खाम जिसके पक्का बीघा 325.80 बने है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02—08—2006 को पूर्व खातेदार शंकरलाल वगैरा से उपरोक्त भूमि क्रय की गई है तथा वर्तमान में अपीलांट वादगत् भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त है। इसी प्रकार उपरोक्त भूमि में से 82 बीघा पक्का अपीलांट ने पूर्व सह खातेदार के हक व हिस्से की भूमि को खरीद की गई व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने भी उपरोक्त भूमि में से 217 बीघा पक्का भूमि पूर्व सह खातेदार के हक व हिस्से की भूमि को खरीद की गई। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 आपस में संयुक्त खातेदार है तथा उपरोक्त वर्णित खरीदशुदा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त है तथा काबिज काश्तकार है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 ने संयुक्त रूप से वादगत् भूमि पर चारों और खरीद की दिनांक से पट्टिया, पिल्लर एवं कांटों की तारबन्दी मौके पर की हुई है तथा कुछ भूमि पर पक्की दीवार का भी निर्माण किया हुआ है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादगत् भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई लेना—देना नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास वादगत् भूमि का किसी प्रकार का कोई राईट, टाईटल व अधिकार नहीं है। ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के कभी राईट व टाईटल प्राप्त हुए है क्योंकि वादगत् भूमि किशनसिंह वगैरा की संयुक्त खातेदार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि थी। उक्त भूमि का कभी भी विभाजन कानूनी रूप से नहीं किया गया है। वादगत् भूमि आज भी संयुक्त खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या ने अपने प्रार्थना पत्र में जो भूमि खरीद की गई बताई है उक्त विक्रय पत्र दिनांक 31—07—2004 की 2630 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी की विभिन्न खसरा नम्बर में दर्शायी गई है उक्त भूमि केवल दो सह खातेदार मंजूदेवी व गिरीराज से विशेष

खसरा नम्बर 79 व 80 में 30 बीघा भूमि खरीद करने का उल्लेख किया गया है। यानि कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि जोकि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है में से विशेष खसरा नम्बर की भूमि खरीद करना दर्शाया गया है। कानूनन संयुक्त खातेदारी की भूमि में से कोई सह खातेदार विशेष नम्बर का बेचान नहीं कर सकता। यदि किस सह खातेदार द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि में विशेष खसरा नम्बर का बेचान कर भी दिया गया तो ऐसा विक्रय पत्र कानून की निगाह में शून्य एवं एब ईनिशियों वाईड श्रेणी का बेचान है। इस प्रकार वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किसी प्रकार का कोई राईट व टाईटल नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 की खातेदारी भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई संबंध नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 येन–केन–प्रकारेण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 की कब्जे काश्त की भूमि एवं खातेदारी भूमि को हड़प करना चाहते है। वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर किसी प्रकार का कोई गौर नहीं किया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित है। यदि वादगत् भूमि से अपीलांट को बदेखल किया गया तो अपीलांट को ना पूरा होन वाला नुकसान होगा तथा कई तरह की पेचिदगियॉ व मुकदमें की आवृति बढ़ेगी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना—देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा अब शेष रहा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा करवाकर विभाजन कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके ग्राम चकगर्बी के खेत खसरा नम्बर 75/1 में 77 बीघा 06 बिस्वा, खसरा न म्बर 75/2 में 56 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 76/1 में 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 में 78 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 में 72 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 में 78 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 में 85 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 में 76 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 में 143 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 में 53 बीघा 16 बिस्वा कुल 733 बीघा 03 बिस्वा खाम कच्चा व खसरा नम्बर 79 मिन में 7.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 80 मिन में 7.50 हेक्टर इस प्रकार कुल 15 हेक्टर अथवा 30 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट की खरीदशुदा भूमि है तथा खरीद के दिन से ही रस्पोडेन्ट वादगत् भूमि पर काबिज हैं जिसके आसापास निम्न प्रकार से है। उत्तर में खसरा नम्बर 81 आराजीराज, दक्षिण में खसरा नम्बर 78 रतनीदेवी, पूर्व में खसरा नम्बर 79, 80 रतनीदेवी, पश्चिम में खसरा नम्बर 79, 80 सावित्री देवी स्थित है। इस प्रकार वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है। अपीलांट फिर भी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त की भूकि पर दखंलदाजी कर रहे है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि पर खरीद के दिन से मौके पर चार दिवारी, पानी का कुण्ड आदि बना हुआ है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि से बेदेखल करने के प्रयास बार—बार किये जाने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा संबंधित पुलिस थाना में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस ईमदाद से सीमा ज्ञान कराने व तब तक वादगत् भूमि के मौके की यथास्थिति के आदेश के बावजूद भी अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को बार—बार परेशान किया जाता रहा है। ऐसेस्थिति में रेस्पोडेन्ट को विवश होकर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर वादगत् भूमि के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा जवाब प्रस्तुत होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की गई कि विवादित भूमि ग्राम रोही चकगर्बी के खेत खसरा नम्बर 75/1 में 77 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 75/2 में 56 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 76/1 में 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 में 78 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 में 72 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 में 78 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 में 85 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 में 76 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 में 143 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 में 53 बीघा 16 बिस्वा कुल 733 बीघा 03 बिस्वा खाम कच्चा व खेत खसरा नम्बर 79 मिन में 7.50 हेक्टर अथवा 15 बीघा, खसरा नम्बर 80 मिन में 7.50 हेक्टर अथवा 15 बीघा पक्का कुल 15 हेक्टर अथवा 30 बीघा भूमि में अपीलांट/अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दंखलजादी नहीं करें तथा ना ही भूमि में प्रवेश करें ना ही किसी अन्य को प्रवेश करावें।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जवाब प्रस्तुत होने पर वादगत् भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट को चाहिए था कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष विधि सम्मत रूप से प्रस्तुत करते। अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं करते हुए उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का उक्त कृत्य मात्र न्यायिक प्रक्रिया का बेजा फायदा उठाना मात्र है। जिसकी कतई अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड

प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् ही वादगत् भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। चूंकि अपीलांट का वादगत् भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना–देना नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत रूप से रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जवाब प्रस्तुत किये जाने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रोही चकगर्बी के खेत खसरा नम्बर 75/1 में 77 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 75/2 में 56 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 76/1 में 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 में 78 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 में 72 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 में 78 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 में 85 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 में 76 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 में 143 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 में 53 बीघा 16 बिस्वा कुल 733 बीघा 03 बिस्वा खाम कच्चा व खेत खसरा नम्बर 79 मिन में 7.50 हेक्टर अथवा 15 बीघा, खसरा नम्बर 80 मिन में 7.50 हेक्टर अथवा 15 बीघा पक्का कुल 15 हेक्टर अथवा 30 बीघा के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है वादगत् भूमि मौजारोही चकगर्बी के खेत खसरा नम्बर 15/2 में 100 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 मिन में तादादी 24 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 मिन में रकबा 56 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 मिन में रकबा 91 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 मिन में 92 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 में रकबा 98 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 में रकबा 85 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 में 76 बीघा 16 बिस्वा, खसरा

नम्बर 83 मिन में 177 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 मिन में 134 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 87 मिन में 48 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 88 में 120 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 में 46 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 मिन में 1 बीघा कुल किता 14 तादादी 1153 बीघा 17 बिस्वा खाम(कच्चा) स्थित है। उक्त भूमि में से 548 बीघा खाम जिसके पक्का बीघा 325.80 बने है।

अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02—08—2006 को पूर्व खातेदार शंकरलाल वगैरा से उपरोक्त भूमि क्रय की गई है तथा वर्तमान में अपीलांट वादगत् भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त है। इसी प्रकार उपरोक्त भूमि में से 82 बीघा पक्का अपीलांट ने पूर्व सह खातेदार के हक व हिस्से की भूमि को खरीद की गई व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने भी उपरोक्त भूमि में से 217 बीघा पक्का भूमि पूर्व सह खातेदार के हक व हिस्से की भूमि को खरीद की गई। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 आपस में संयुक्त खातेदार है तथा उपरोक्त वर्णित खरीदशुदा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् जारी अस्थाई निषेधाज्ञा कानून के विपरीत जाकर पारित की गई है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड यथा जमाबन्दी सवंत् 2045, नजरी नक्शा, खसरा गिरदावरी सवंत् 2069 से 2072 एवं विक्रय पत्र दिनांक 26—01—2005 व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नामान्तरणकरण संख्या 345 दिनांक 24—11—2005 व नामान्तरणकरण संख्या 466 दिनांक 10—09—2007 क अवलोकन से प्रथम दृष्टया सबित है कि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक व हकूक साबित है। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् ही वादगत् भूमि के बाबत् जवाब प्रस्तुत होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है।

(4) प्रकरण में अपीलांट को चाहिए था कि वे अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में नियमानुसार जवाब प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करते। अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं करते हुए उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने में गुरेज करते हुए उक्त अपीलें प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित है।

इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा भी अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने के बजाय पक्षकारों को विचारण न्यायालय/अपीलीय न्यायालय के समक्ष ही अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए विधि सम्मत आदेश प्राप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिए। उक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट का एक अंतरिम आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने के कृत्य को कानून की दृष्टि से सराहा नहीं जा सकता है।

(5) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारो के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक व हकूक साबित है।

(6) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने तक वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने तथा नाही भूमि में प्रवेश करने तथा ना ही अन्य को प्रवेश कराने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों व कहों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से पारित आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(7) प्रकरण में अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। ऐसी स्थिति में अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का क्या औचित्य था यह स्पष्ट नहीं कर पायें है। चूंकि अपील बिना किसी आधार के न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है और यह भी कि यदि कोई वाद के संबंध में कथन था तो मूल वाद में अथवा जवाब प्रस्तुत करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उठा सकते थे। इसप्रकार उक्त सभी अपीलें औचित्यहीन एवं एक दूसरे के विरूद्व मामलें में अनावश्यक विलम्ब कारित करने के उद्वेश्य से की गई प्रतीत होती है। लिहाजा यह न्यायालय अपीलकर्ताओं पर रूपये 5000/– आर्थिक दण्ड आरोपित करना उचित पाते है। अपीलांट दण्ड स्वरूप निर्धारित राशि अदालत मातहत में जमा करावें। पक्षकारों को जरिये अधिवक्ता निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10–08–2018 को आवश्यक रूप से उपस्थित होवें। अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारों की सुनवाई उपरान्त विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपीलें खारिज की जाती है एवं सहायक कलेक्टर, बीकानेर का आदेश दिनांक 04–11–2015 यथावत बहाल रखा जाता है

9. निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर